राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 2735/2025

राकेश कुमार बैरवा

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निवेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, झालावाड़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.05.2025
आदेश की दिनांक : 23.05.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री एस.के. सिंगोदिया, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, कैवियटर

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड–III लेवल–II हिंदी विषय के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजपुरा, ब्लॉक खानपुर में उनका चयन हुआ और उनके सेटअप को राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971 की धारा 6–डी के प्रावधानों के अंतर्गत प्रारंभिक से माध्यमिक में बदल दिया गया और दिनांक 19.09.2018 के आदेश द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाडिया वीरजी ब्लॉक डग, जिला झालावाड़ में नियुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी ने माध्यमिक सेटअप द्वारा नियंत्रित स्कूल में कार्यभार ग्रहण कर लिया लेकिन उसने ब्लॉक खानपुर में स्थित नजदीकी स्कूल में उसे पोस्टिंग देने के लिए कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किए। सेटअप बदलने के आदेश पारित करने के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया के दौरान ब्लॉक खानपुर में सभी रिक्त पद प्रदर्शित नहीं किए गए हैं, जिसके कारण अपीलार्थी ब्लॉक खानपुर में स्थित स्कूल के लिए विकल्प प्रस्तुत नहीं कर सका। (अनुलग्नक–1) राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए दिनांक 02.06.2004 को एक विज्ञापन प्रकाशित किया था और उक्त विज्ञापन के अनुसरण में अपीलार्थी ने आवेदन किया था और उसे चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई। अपीलार्थी को झालावाड़ के नियंत्रण में शिक्षक ग्रेड–III के पद पर नियुक्ति के लिए चुना गया और उसे 25.04.2005 के आदेश के अनुसार जिला परिषद द्वारा नियुक्त किया गया और राजकीय प्राथमिक विद्यालय राजपुरा खानपुर, जिला झालावाड़ में नियुक्त किया गया।

अपीलार्थी दिनांक 19.09.2018 को माध्यमिक विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के लिए आदेश दिनांक 25.09.2018 के अनुपालन में कार्यमुक्त हुआ तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा नियंत्रित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी की नियुक्ति प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन थी, लेकिन नियम 1971 के नियम 6डी के प्रावधानों के मद्देनजर उसका विभाग प्राथमिक से माध्यमिक में परिवर्तित हो गया। प्रत्यर्थी विभाग ने उन शिक्षकों को नियुक्ति देने के लिए परामर्श के उद्देश्य से एक दिशानिर्देश प्रकाशित किया है, जिनका परिवर्तन प्रारंभिक से माध्यमिक शिक्षा में हुआ है। उक्त दिशानिर्देश के अनुसार ब्लॉक या उसके निकटवर्ती ब्लॉक में पड़े सभी रिक्त पदों को प्रदर्शित किया जाना चाहिए, लेकिन दिशानिर्देश की अनदेखी करते हुए सभी रिक्त पदों को प्रदर्शित नहीं किया गया है, जिसके कारण अपीलार्थी के पास वर्तमान पोस्टिंग स्थान को चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अपीलार्थी ने कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किए और उसे निकटतम स्थान पर पोस्टिंग देने के लिए बार–बार अनुरोध भी किया, लेकिन इसके बावजूद प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी और समान मामले में माननीय न्यायालय ने एस.बी. संख्या 7493/2023 में सिविल रिट याचिका महेंद्र कुमार जैन बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं अन्य के रूप में दिनांक 30.05.2023 के आदेश के तहत उपयुक्त स्थान पर पोस्टिंग देने के लिए अभ्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया। (अनुलग्नक–3)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आलौच्य आदेश दिनांक 19.09.2018 को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को ब्लॉक खानपुर या नजदीकी ब्लॉक में प्राथमिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा द्वारा नियंत्रित स्कूल में नियुक्ति दिए जावे के अभ्यावेदन पर विचार किया जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आदेश से आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश

(Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष